न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः हनुमान सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 84/2015

उनवान

श्रीमति शिरिन बाई पत्नि हुसैनी भाई सतुरा जाति बोहरा निवासी परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादीया

बनाम

गौतम पिता हिरजी पाटीदार जाति पाटीदार निवासी नवापादर तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 19.4.2022

वादीया की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी नम्बर 2019/210 रकबा 0.24 वाके गांव नवापादर पटवार हल्का खेरन का पारडा तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.) मे स्थित है। जिसकी वादीया ने बाऊण्ड्रीवाल बना रखी हुई है। उक्त भूमि वादीया ने दिनांक 27/10/2009 को रामजी पिता नागजी पटेल निवासी नवापादर से किमतन क्रय की तथा नामान्तरण संख्या 605 दिनांक 05/08/2011 से वादीया के नाम भूमि दर्ज रेकार्ड कर वादीया के नाम लगान प्रारम्भ होकर वादिया इसका लगान राज्य सरकार को अदा करती चली आ रही है। विगत कुछ समय पुर्व वादिया हज एवं अन्य कार्यो के लिए अरब देशो की यात्रा पर गई तो पिछे से प्रतिवादी ने वादीया की भूमि में अतिक्रमण कर वादीया की बाऊण्डी तोड कर अपना गेट लगाकर वादीया की भूमि मे पशुघर बना दिया। वादीया जब विदेश से आई और उसे पता चला तो उसने जाकर प्रतिवादी से उक्त अतिक्रमण हटाने निवेदन किया तो प्रतिवादी लडाई झगडे पर उतारू होकर कहने लगा की जमीन मेरी है तुम्हारा यहां कुछ नही है यहां से भाग जाओ वरना जान से मार दूंगा। वादीया ने इस पर श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी को सीमांकन हेतु आवेदन किया जिस पर पटवारी नवापादर द्वारा मौके पर जाकर निशादेही की जिसमे स्पष्ट हो गया की उक्त भूमि वादीया की है परन्तु प्रतिवादी नही मान रहा और अपना कब्जा हटाने तैयार नही है। जिस वजह से प्रतिवादी का कब्जा हटाने यह वाद पत्र अन्तर्गत 183 रा.का.अ. के तहत पेश हुआ।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी की ओर से श्री यशपाल सिंह झाला, अभिभाषक का वकालातनाम पेश होकर जवाब प्रस्तुत हुआ। दौराने कार्यवाही प्रकरण में वादीया के अभिभाषक एंव प्रतिवादी ने हमराह अभिभाषक के राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रतिवादी द्वारा वादीया की वादग्रस्त भूमि से अपना अतिक्रमण/कब्जा हटा लिया है। इस कारण वादीया के पक्ष में डिकी जारी कराने निवेदन किया।

प्रकरण में वादीया की ओर से प्रस्तुत वाद एंव वादीया के अभिभाषक तथा प्रतिवादी स्वंय, उनके अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया जाकर उक्त वाद वादीया के पक्ष में निर्णित किया जाकर प्रतिवादी को आदेशित किया जाता हैं कि भविष्य में पटवार हल्का खैरन का पारड़ा के मौजा नवापादर की खातेदारी सर्वे नम्बर 2019/210 रकबा 0.24 हे0 भूमि में वर्तमान में हटाये गये कब्जे को पुनः करने की चेष्टा न तो स्वंय करे एंव न ही किसी अन्य से करावे।

(हनुमान सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.04.27 11:51:01 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

वादीया के अभिभाषक तथा प्रतिवादी स्वंय, उनके अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया जाकर उक्त वाद वादीया के पक्ष में निर्णित किया जाकर प्रतिवादी को आदेशित किया जाता हैं कि भविष्य में पटवार हल्का खेरन का पारड़ा के मौजा [illegible] की खातेदारी सर्वे नम्बर 2019/210 रकबा 0.24 हे0 भूमि में वर्तमान में हटाये गये [illegible] पुनः करने की चेष्टा न तो स्वंय करे एंव न ही किसी अन्य से करावे। इस आशय की डिकी पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.4.2022 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : हनुमान सिंह राठौड़
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 84 / 2015

उनवान

श्रीमति शिरिन बाई पत्नि हुसैनी भाई सतुरा जाति बोहरा निवासी परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादीया

बनाम

गौतम पिता हिरजी पाटीदार जाति पाटीदार निवासी नवापादर तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 19.4.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाषक एंव प्रतिवादी तथा उनके अभिभाषक पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया जाकर उक्त वाद वादीया के पक्ष में निर्णित किया जाकर प्रतिवादी को आदेशित किया जाता हैं कि भविष्य में पटवार हल्का खैरन का पारड़ा के मौजा नवापादर की खातेदारी सर्वे नम्बर 2019 / 210 रकबा 0.24 हे0 भूमि में वर्तमान में हटाये गये कब्जे को पुनः करने की चेष्टा न तो स्वंय करे एंव न ही किसी अन्य से करावे। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 19.4.2022 को जारी की गई।

(हनुमान सिह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.04.27 11:51:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Scanned by CamScanner